उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1310–पें0एवंआर0–28/पाकालि/22–10(1)पें0एवंआर0/2015, दिनांक : 19 सितम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2022 को सम्पन्न 183वीं बैठक में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप कार्मिक अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या : 3/47/का–2/2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह–ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022"** जिसे कार्मिक अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या : 02/2022/3/47/का–2/2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा निर्गत किया गया है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में एतदद्वारा अंगीकृत किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जा रहे हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1310–पें0एवंआर0–28/पाकालि/22 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/ आगरा/मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/स्तर–।।), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 10 अगस्त, 2022 को सम्पन्न 183वीं बैठक के मद संख्या–183(16) के सम्बन्ध में।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(आनन्द श्रीवास्तव)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-02/2022/3/47/का-2/2022

लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा प्रख्यापित **"उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022"** की प्रति **(हिन्दी/अंग्रेजी)** संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
5. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
13. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को संलग्न नियमावली के आवरण पत्र सहित 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

निर्मेष कुमार शुक्ल

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्टानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-3/47/का-2/2022

लखनऊ, दिनांक : 07 जनवरी, 2022

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं में समूह 'ग' के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

"उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022"[1]

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1- (1) यह नियमावली **उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022** कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी तथा इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के पश्चात् विज्ञापित किये जाने वाली रिक्तियों पर लागू होगी।

(3) इस नियमावली के प्राविधान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाने वाली भर्तियों पर लागू नहीं होंगे

परिभाषाएं

2- जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य संबंधित पदों की सेवा नियमावली या संबंधित पदों के कार्यकारी अनुदेशों में यथा परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है ;

(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ड.) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

भर्ती का स्रोत

3-(1) कुल रिक्तियों की 02 प्रतिशत रिक्तियाँ, राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में समूह-'ग' के पदों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगी।

(2) उक्त आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा।

(3) यदि उपनियम(1) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है, तो ऐसी न भरी गयी रिक्तियॉ अग्रेनीत नहीं की जायेंगी

शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

4-(1) अभ्यर्थी के लिए संगत सेवा नियमावली के अधीन सम्बन्धित पद की विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।

(2) यदि किसी पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त टंकण अथवा अन्य कोई तकनीकी अर्हता विहित हो तथा संबंधित खिलाड़ी उक्त अर्हता धारित नहीं करता है तो उसे इस शर्त के साथ नियुक्त किया जायेगा कि उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के दिनांक से अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के भीतर उक्त अर्हता अर्जित कर ली जायेगी।

भर्ती हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अर्हताएं

5-(1) निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाला या सहभागिता करने वाला कोई खिलाड़ी भर्ती हेतु आवेदन कर सकता है:-

क्र . सं.	खेल का नाम	क्र . सं.	खेल का नाम
1.	तीरंदाजी	20.	बाडी बिल्डिंग
2.	एथलेटिक्स	21.	वाटर स्पोर्ट्स
3.	क्रासकंट्री	22.	खो-खो
4.	बैडमिन्टन	23.	कबड्डी
5.	वालीबाल	24.	शूटिंग स्पोर्ट्स
6.	बास्केटबाल	25.	स्वीमिंग
7.	पावर-लिफ्टिंग	26.	टेबिल टेनिस
8.	बाक्सिंग	27.	लान टेनिस
9.	साइकिलिंग	28.	कराटे
10.	घुडसवारी	29.	योग
11.	फुटबाल	30.	कुश्ती

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्टानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

12.	हैण्डबाल	31.	ताइक्वाण्डो
13.	रायफल शूटिंग	32.	भारोत्तोलन
14.	जिम्नास्टिक	33.	गोल्फ
15.	जूडो	34.	सेपक टकरा
16.	हॉकी	35.	तलवारबाजी
17.	वुशू	36.	आर्मरेसलिंग
18.	पेनकक सिल्ट	37.	शतरंज
19.	क्रिकेट		

नोट:-उक्त सूची में उल्लिखित खेलों में समय-समय पर राज्य सरकार व खेल विभाग से मान्यता प्राप्त एवं सम्बद्धता प्राप्त खेलों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।

(2) अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप्स का वर्गीकरण:-

श्रेणी-ए	ओलम्पिक खेल (सीनियर कैटगरी)
	पैरा ओलम्पिक खेल(सीनियर कैटेगरी)
	विश्वकप (जूनियर/सीनियर कैटेगरी)
	विश्व चैम्पियनशिप्स (जूनियर/सीनियर कैटेगरी)
श्रेणी-बी	एशियाईखेल (सीनियर कैटगरी)
	एशियाई पैरा खेल(सीनियर कैटेगरी)
	कॉमन वेल्थ खेल (सीनियर कैटेगरी)
	कॉमन वेल्थ चैम्पियनशिप्स (सीनियर कैटेगरी)
	एशियाई चैम्पियनशिप्स (सीनियर कैटेगरी)
श्रेणी-सी	साउथ एशियन खेल (सीनियर कैटेगरी)
	युवा ओलम्पिक खेल

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्टानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

	कॉमनवेल्थ युवाखेल
श्रेणी-डी	राष्ट्रीय खेल में युवा (सीनियर कैटेगरी)
	राष्ट्रीय चैम्पिनशिप (जूनियर/ सीनियर कैटेगरी)
	भारतीय विश्वविद्यालय एशोसिएशन
	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट
	अखिल भारतीय अन्तर चैम्पिनशिप

(3) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भर्ती के मानक:-

श्रेणी- ए में प्रतिभाग किया हो अथवा श्रेणी- बी में कोई पदक प्राप्त किया हो अथवा श्रेणी-सी में कम से कम द्वितीय स्थान (टीम/व्यक्तिगत) प्राप्त किया हो अथवा श्रेणी-डी में प्रथम स्थान (टीम/व्यक्तिगत) प्राप्त किया हो। उक्त के अतिरिक्त क्रिकेट में अंतराष्ट्रीय एकदिवसीय/टेस्ट मैच में प्रतिभाग करने वाला खिलाड़ी भी भर्ती हेतु आवेदन के लिए पात्र होगा। इसी प्रकार शतरंज में ग्रेंड मास्टर उपाधि प्राप्त खिलाड़ी भी भर्ती हेतु आवेदन के लिए पात्र होगा।

(4) खेल उपलब्धियों की अवधि- जिस वित्तीय वर्ष में रिक्तियां विज्ञापित की जाय उस वित्तीय वर्ष से 05 वित्तीय वर्ष से अधिक के पहले की उपलब्धि न हो अर्थात यदि रिक्तियों का विज्ञापन वर्ष 2020-21 में होता है, तो खेल उपलब्धि वर्ष 2015-16 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

आयु सीमा

6- प्रत्येक पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित पद की सेवा नियमावलियों में निर्धारित की गई है।

भर्ती की प्रक्रिया

7- भर्ती प्रक्रिया वही होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित पद की सेवा नियमावली में विहित की गई है। परन्तु यह कि खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, पदों के नाम, वेतन लेवल, भर्ती के न्यूनतम खेल मानक, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, खेल उपलब्धियों की अवधि और खेल विधाओं को भर्ती हेतु

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्टानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

सम्बन्धित चयन निकाय/बोर्ड/ आयोग द्वारा विज्ञापन से स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जायेगा।

परन्तु यह कि सम्बन्धित चयन निकाय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई अन्य सन्नियम विहित कर सकता है।

नियुक्ति और सेवा शर्तें

8-(1) सम्बन्धित चयन निकाय/ बोर्ड/ आयोग की संस्तुति के क्रम में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षण तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

(2) नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें वहीं होंगी जैसा कि प्रश्नगत पद की सम्बन्धित सेवा नियमावली में विहित हो।

पक्ष का समर्थन

9- पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों के भिन्न सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

10- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों , अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्याकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

नियमों में शिथिलता

11- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है वहाँ वह नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के किसी उपबन्ध को समाप्त कर सकती है या उसमें शिथिलता प्रदान कर सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।